जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांक: जविप्रा/अति.मु.न.नि./मा.प्लान./2022/डी-390 दिनांक 10.8.22

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त...10.. 2022

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जयपुर मास्टर विकास योजना-2025 जयपुर विकास प्राधिकरण की 60वीं बैठक दिनांक 05.09.2011 के द्वारा अनुमोदित होकर दिनांक 06.09.2011 से लागू किया गया है। बीपीसी (एल.पी.) की 318वीं बैठक दिनांक 10.06.2022 में लिये गये नीतिगत निर्णय संख्या-2 में **मास्टर विकास योजना के यू-2 व यू-3 उपयोग में न्यूनतम 10.00 हैक्टेयर से 20.00 हैक्टेयर तक की इंटीग्रेटेड आवासीय योजनाओं को न्यूनतम 24.00 मीटर पंहुच सड़कों पर अनुज्ञेय किये जाने का निर्णय लिया गया है।** अतः मास्टर विकास योजना-2025 के वॉल्यूम-4 (डीपीसीआर) के बिन्दु संख्या-10.9.1 की तालिका के क्रम संख्या-4 में निम्नानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

S.No.	Permitted use Premises	Minimum Area required (Hect.)	Min. Road Width (In Front)
4.	Intigrated Residential Townships	10.00 - 20.00 20.00 & above	24.0m. & above 30.0m. & above

अतः जविप्रा अधिनियम, 1982 की धारा 25(3) के तहत जनसाधारण से आपत्ति/सुझाव एतद्द्वारा आमंत्रित किये जाते है। किसी संस्था/व्यक्ति/जनसाधारण को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपने आपत्ति/सुझाव इस अधिसूचना के प्रकाशन होने के 30 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में प्रस्तुत करे। इस अधिसूचना के प्रकाशन होने के 30 दिवस की अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले आपत्ति/सुझावों पर विचार नही किया जायेगा।

10/8/22

(उज्ज्वल राठौड़)
सचिव
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव-तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना/वित्त/विधि/परियोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/भूमि/एल.पी.सी.), जविप्रा, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मा.प्लान/बीपीसी), जविप्रा, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक (मा.प्लान/एल.पी./प्रोजेक्ट), जविप्रा, जयपुर।
9. उपायुक्त जोन-1 से 14 एवं पी.आर.एन (उत्तर-I, II/दक्षिण-I,II), जविप्रा, जयपुर।
10. उप निदेशक (जनसंपर्क), जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को दो राज्य राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का श्रम करे।
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
12. नोटिस बोर्ड।

अति.मुख्य नगर नियोजक, (मा.प्लान),
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।